न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी नागौर
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 209/18

वादी
1–देवकरण पुत्र भागुराम जाति जाट
निवासी धनेरीया लील तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगणः–
1–भागुराम पुत्र नेनाराम जाति जाट
2–पप्पूदेवी पत्नि चेनाराम जाति जाट
3–मोतीराम पुत्र भागुराम जाति जाट
4–सुखाराम पुत्र भागूराम
निवासीगण धनेरीया लील तहसील रियांबड़ी
5–तहसीलदार रियांबड़ी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट 1955

*निर्णय*

दिनांक :– 08.06.2018

वादी निम्नलिखित वाद पेश करता है :–

1–यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 हिन्दु है और हिन्दु मिताक्षरा कानून से शासित होते है। जो स्व.नेनराम जी के वारिसान है।

2–यह है कि ग्राम धनेरीया लील की सरहद में स्थित खेत खसरा नबर 403 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नंबर 403 रकबा 1.61 हैक्टर,खसरा नंबर 548 रकबा 2.53 हैक्टर, खसरा नंबर 667 रकबा 2.51 हैक्टर,खसरा नंबर 714 रकबा 0.54 हैक्टर,खसरा नंबर 715 रकबा 0.33 हैक्टर,खसरा नंबर 716 रकबा 0.44 हक्टर व खसरा नंबर 717 रकबा 0.47 हैक्टर कुल रकबा 8.44 हैक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 की काश्त व कब्जासुदा है। उक्त खसरान की भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का सहूलियत से अलग अलग काश्त व कब्जा है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित की जायेगी।

3–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में वादी के दादा नेनाराम जी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। नेनाराम जी के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को उतराधिकार में प्राप्त हुई । इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की पैतृक भूमि है। इसस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी का जन्म से अधिकार प्राप्त है।

4–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि का बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 ने आज से करीब 2 वर्ष पूर्वजुबानी कर लिया बंटवारा का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वादी संख्या 1 देवकरण के बंट में :–
मौजा धनेरीया लील की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 403 रकबा 0.01 हैक्टर,व खसरा नंबर 404 रकबा 1.61 हैक्टर।

प्रतिवादी संख्या 1 भागराम के बंट में :–

Scanned by CamScanner

मौजा धनेरीया लील की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 714 रकबा 0.54 हैक्टर,खसरा नंबर 715 रकबा 0.33 हैक्टर,खसरा नंबर 716 रकबा 0.44 हैक्टर व खसरा नंबर 717 रकबा 0.47 हैक्टर।

3–प्रतिवादी संख्या 2पप्पूदेवी के बंट मे :–

मौजा धनेरीया लील की सरहद में स्थित खसरा नंबर 548 रकबा 2.53 हैक्टर में सें रकबा 1.68 हैक्टर।

प्रतिवादी संख्या 3 मोतीराम के बंट में :–

मौजा धनेरीयालील की सरहद में स्थित खसरा नंबर 548 रकबा 2.53 हैक्टर में सें 0.43 हैक्टर उतरी–पूर्वी व खसरा नंबर 667 रकबा 2.51 हैक्टर में सें 1.25 हैक्टर पूर्वी।

प्रतिवादी संख्या 4 सुखाराम के बंट में :–

मौजा धनेरीया लील की सरहद में स्थित खसरा नंबर 548 रकबा 2.53 हैक्टर में सें 042 हैक्टर उतरी पश्चिमी व खसरा नंबर 667 रकबा 2.51 हैक्टर में सें रकबा 1.26 हैक्टर पश्चिमी।

5–यह है कि पक्षकारान बंटवारा के दिन से उपर बताये अनुसार अलग–अलग काश्त व काबिज है। तथा अलग अलग सीवें माठें कायम कर ली है। मगर वादग्रस्त खसरान की भूमि का बंटवारा अभी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। जिससे वादीगण यह वाद बाबत खातेदारी घोषणा व बंटवारा का पेश कर रहे है।

6–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि की खातेदारी माफिक बंटवारा के दर्ज नहीं है इसलिए वादीगण को वादग्रस्त खसरान की भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग व उपभोग करने में समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। जिससे वादीगण वादग्रस्त खसरान की खातेदारी अलग से घोषित करवाने का अधिकारी है।

7–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि के राजस्व रेकार्ड में खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने से प्रतिवादी की नियत में फर्क आ गया है और प्रतिवादी खातेदारी की आड़ में वादी के काश्त व कब्जा में दखलदांजी करने व बेचान करने पर उतारू है।

8–यह है कि इश्तदुआ वादीगण यह है कि दावा वादीगण की डिक्री बहक वादीगण विरूध प्रतिवादीगण के वादपत्र के पैरा संख्या 4 में बताये अनुसार फरमायी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन जबाबदेही हेतू तलब किया गया।

वादी मय अधिवक्ता व प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता के राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर जसनगर में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । सुन समझ सही होना स्वीकार किया गया। बाद पहचान के राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जो स्व.नैनाराम जी स्वर्गवास के बाद उतराधिकार में प्राप्त हुई है। आपसी सहमति से बंटवारा करवाना चाहते है। वादी की इश्तदुआ अनुसार वाद को स्वीकार किया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण उनके वारिसान है। भूमि पैतृक है जो विरासत से प्राप्त हुई है। जिसका बंटवारा करवाना चाहते है। इसलिए अपनी सहमति दी है। उतराधिकार में प्राप्त भूमि का बंटवारा उनके वारिसान में किया जाना वाजिब है।

अतः वादी का वाद जरिए सहमति के स्वीकार किया जाता है। तथा वादी व प्रतिवादी के बीच निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

वादी संख्या 1 देवकरण के बंट में :–

मौजा धनेरीया लील की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 403 रकबा 0.01 हैक्टर,व खसरा नंबर 404 रकबा 1.61 हैक्टर।

प्रतिवादी संख्या 1 भागूराम के बंट में :–

मौजा धनेरीया लील की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 714 रकबा 0.54 हैक्टर,खसरा नंबर 715 रकबा 0.33 हैक्टर,खसरा नंबर 716 रकबा 0.44 हैक्टर व खसरा नंबर 717 रकबा 0.47 हैक्टर।

3–प्रतिवादी संख्या 2पप्पूदेवी के बंट मे :–



Scanned by CamScanner

मौजा धनेरीया लील की सरहद में स्थित खसरा नंबर 548 रकबा 2.53 हैक्टर में सें रकबा 1.68 हैक्टर।

प्रतिवादी संख्या 3 मोतीराम के बंट में :–

मौजा धनेरीयालील की सरहद में स्थित खसरा नंबर 548 रकबा 2.53 हैक्टर में सें 0.43 हैक्टर उतरी–पूर्वी व खसरा नंबर 667 रकबा 2.51 हैक्टर में सें 1.25 हैक्टर पूर्वी।

प्रतिवादी संख्या 4 सुखाराम के बंट में :–

मौजा धनेरीया लील की सरहद में स्थित खसरा नंबर 548 रकबा 2.53 हैक्टर में सें 042 हैक्टर उतरी पश्चिमी व खसरा नंबर 667 रकबा 2.51 हैक्टर में सें रकबा 1.26 हैक्टर पश्चिमी।

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद किया जावें। सेपरेट पजेशन कायम किया जावें। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोट–उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रहन रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

( गौरीशंकर शर्मा )
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत कैम्प जसनगर

निर्णय दिनांक 08.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प जसनगर में सुनाया गया ।

( गौरीशंकर शर्मा )
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत
राजस्व लोक अदालत कैम्प जसनगर

Scanned by CamScanner